न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 01/2025
प्रकरण दर्ज तिथि 09.01.2025
जीसीएमएस नम्बर :— 2025/19

नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लालसिंह, उम्र—56 वर्ष, जाति रावत निवासी कलालीया तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र श्री लालसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी कलालीया
2. जीवनसिंह पुत्र श्री लालसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी कलालीया
3. नाथुसिंह पुत्र श्री लालसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी कलालीया
4. लक्ष्मी देवी पत्नि श्री लालसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी कलालीया तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
5. तहसीलदार बजरिये (लैण्ड होल्डर) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी उपस्थित
2 अप्रार्थी संख्या 01 से 03 श्री भूपेन्द्र सैन व अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

निर्णय दिनांक :— 18.12.2025

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी की ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया भू. अभि. नि. क्षेत्र काणुजा, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबंदी संवत् 2075—2078 के नया खाता सं. 206 खसरा सं. 1277, 1279, 1280, 1288, 1366, 1443, 1447, 1448, 1546, 1552, 1553, 1555, 1556, 1561, 1563, 2773, 3247, 3409, 3410, 3411, 3418, 3420, 3421 मे पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है।

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र मे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा प्रार्थनाग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सवत् 2063—2066 की प्रमाणित प्रति से लगायत चालु जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें । उपरोक्त खातेदारी जमीन मे प्रार्थी का हक व हिस्सा आता है, तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता के फौत होने पर नामान्तरण सं. 1547 से प्रार्थी का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर बोलता नाम नेतसिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया है। जो गलत है अशुद्व है। जिसे न्यायहित मे सुधारा जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

दिनांक 31–12–2024 को अपने हिस्से की भूमि पर प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत छः हजार रूप्ये नही आने पर जमाबन्दी निकालने पर उक्त जानकारी हुई कि जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज रेकर्ड है तब प्रार्थी ने पटवारी हल्का महोदय से सम्पर्क किया, तथा नाम संसोधन करवाने का निवेदन किया, तो उन्होने पुरानी नकले मंगवाई एवं उनके द्वारा न्यायलय से आदेश लाकर देने का कहा जिस कारण न्यायालय कि शरण में जाकर वहा प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर एवं प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई साधन नहीं होने का बताने पर यह प्रार्थना श्रीमान के न्यायलय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, अतः प्रार्थी राजरव रेकर्ड में दर्ज अपने नाम नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह सरोधन अपने नाम करवाने का अधिकारी है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी के पक्ष में यह अनुतोष जारी फरमावें कि प्रार्थी की ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया भू. अभि. नि. क्षेत्र काणुजा, तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज. की जमाबंदी संवत् 2075–2078 के नया खाता सं. 206 खसरा सं. 1277, 1279, 1280, 1288, 1366, 1443, 1447, 1448, 1546, 1552, 1553, 1555, 1556, 1561, 1563, 2773, 3247, 3409, 3410, 3411, 3418, 3420, 3421 मे पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है। एवं विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता के फौत होने पर नामान्तरण सं. 1547 से प्रार्थी का नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर बोलता नाम नेतसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज कर दिया है। जो गलत है अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड मे एवं अन्य राजकीय दस्तावेज मे नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह संसोधन करने का आदेश प्रदान करावे। जिससे प्रार्थी को होने वाली हानि से बचाया जा सकें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने वकालतनामा मय इकबालिया जबाव पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाव में अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह नाम सशोधन किया जाता है तो हमे कोई उजर एतराज नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार है एवं प्रार्थी की इस्तेदुआ स्वीकार की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को कई उजर एतराज नही हैं। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/भूअ/25/3641 दिनांक 10.11.2025 के संवंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें पटवारी हल्का की जांच अनुसार ग्राम कलालिया के खाता संख्या 206 के खातेदार नेतसिंह पुत्र लालसिंह का सही नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह हैं। दोनो नाम का एक ही व्यक्ति हैं। इसीलिए राजस्व रेकर्ड में खातेदार का गलत नाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नेतसिंह पुत्र लालसिंह का सही नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह किया जाने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्रसिंह ही हैं एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्रसिंह ही बताया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह नाम संशोधन के आदेश फरमावें।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्रसिंह ही हैं एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही नाम नरेन्द्रसिंह ही बताया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह नाम संशोधन के आदेश फरमावें तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, के नया खाता सं. 206 में दर्ज नाम नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह नाम संशोधन दर्ज करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम कलालीया पटवार हल्का कलालीया भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, के नया खाता सं. 206 में दर्ज नाम नेतसिंह पुत्र लालसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह नाम संशोधन दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजा जावें।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)